रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 360] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अगस्त 10, 2006/श्रावण 19, 1928
No. 360] NEW DELHI, THURSDAY, AUGUST 10, 2006/SRAVANA 19, 1928

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 अगस्त, 2006

सा.का.नि. 469(अ).—केन्द्रीय सरकार, केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 (1995 का 7) की धारा 22 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केबल टेलीविजन नेटवर्क नियम, 1994 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :–

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केबल टेलीविजन नेटवर्क (संशोधन) नियम, 2006 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. केबल टेलीविजन नेटवर्क नियम, 1994 के नियम 7 के उप-नियम (2) के खंड (8) में उप-खंड (क) के पश्चात् निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :–

"परंतु ऐसे किसी उत्पाद को, जिसमें ऐसे ब्रांड नाम या लोगो का उपयोग किया गया है जिसका सिगरेट, तंबाकू, उत्पाद, वाईन, एल्कोहल, लिकर या अन्य मादक पदार्थों के लिए भी उपयोग किया जाता है, निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन केबल सेवा पर विज्ञापित किया जा सकेगा,–

(i) विज्ञापन के कथापट्ट या दृश्य में केवल विज्ञापित किए जा रहे उत्पाद का ही चित्रण किया जाना चाहिए न कि किसी रूप या किसी रीति में प्रतिषिद्ध उत्पादों का;

(ii) विज्ञापन में प्रतिषिद्ध उत्पादों का कोई भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष उल्लेख नहीं किया जाना चाहिए;

(iii) विज्ञापन में प्रतिषिद्ध उत्पादों का संवर्धन करने वाले कोई छायार्थ या वाक्यांश अंतर्विष्ट नहीं होने चाहिए;

(iv) विज्ञापन में प्रतिषिद्ध उत्पादों से सहबद्ध विशिष्ट रंगों और अभिन्यास या निरूपणों का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए;

(v) विज्ञापन में, जब अन्य उत्पादों का विज्ञापन किया जा रहा हो, प्रतिषिद्ध उत्पादों के संवर्धन के लिए प्रतिरूपी स्थितियों का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए :

परंतु यह और कि ऐसे सभी विज्ञापनों का, प्रसारण या पारेषण या पुन: पारेषण से पूर्व उपयुक्त अनिर्बन्धित लोक प्रदर्शन के लिए केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड द्वारा पूर्वेक्षित और प्रमाणित किया जाएगा ।";

[फा. सं. 804/3/2005-बी.सी.-III/बी.सी.-II]
एन. बैजेन्द्र कुमार, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में सा.का.नि. 729(अ) तारीख 29 सितंबर, 1994 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात् सा.का.नि. 459(अ) तारीख 8 अक्तूबर, 1996 और सा.का.नि. 282(अ), तारीख 11 मई, 2006 द्वारा संशोधित किए गए ।

MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING

NOTIFICATION

New Delhi, the 9th August, 2006

G.S.R. 469(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 22 of the Cable Television Networks (Regulation) Act, 1995 (7 of 1995), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Cable Television Network Rules, 1994, namely :—

1. (1) These rules may be called the Cable Television Networks (Amendment) Rules, 2006.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Cable Television Network Rules, 1994, in rule 7, in sub-rule (2), in clause (viii), after sub-clause (A), the following shall be inserted, namely :—

"Provided that a product that uses a brand name or logo, which is also used for cigarettes, tobacco products, wine, alcohol, liquor or other intoxicants, may be advertised on cable service subject to the following conditions that —

(i) the story board or visual of the advertisement must depict only the product being advertised and not the prohibited products in any form or manner;

(ii) the advertisement must not make any direct or indirect reference to the prohibited products;

(iii) the advertisement must not contain any nuances or phrases promoting prohibited products;

(iv) the advertisement must not use particular colours and layout or presentations associated with prohibited products;

(v) the advertisement must not use situations typical for promotion of prohibited products when advertising the other products :

Provided further that all such advertisements shall be previewed and certified by the Central Board of Film Certification suitable for unrestricted public exhibition prior to telecast or transmission or retransmission" ;

[F. No. 804/3/2005-BC-III/BC-II]

N. BAIJENDRA KUMAR, Jt. Secy.

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R. 729(E), dated the 29th September, 1994 and subsequently amended by G.S.R. 459(E), dated the 8th October, 1996 and G.S.R. 282(E), dated 11th May, 2006.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.